The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 4 | April 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

प्रव्रजन एवं शिक्षा पर मनरेगा का प्रभाव : बिहार के संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

अजय कुमार निराला
शोधार्थी (ICSSR Doctoral Fellow) समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र विभाग
अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान (आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय),पटना

Email ID: niralaajaykumar221@gmail.com

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 11-04-2025

Published: 10-05-2025

Keywords:

मरेगा योजना, प्रवास, शिक्षा, ग्रामीण–नगरीय प्रवास

ABSTRACT

प्रव्रजन एक मानव जीवन का महत्वपूर्ण पहलु है, जिसमें लोग अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से चले जाते हैं। यह एक प्राचीन प्रक्रिया है जो मानव समाजों के लिए बदलाव और संघर्ष का स्रोत रहा है। प्रव्रजन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक असमानता, नौकरी की तलाश या शैक्षिक अवसरों की खोज– ये सभी प्रव्रजन के प्रमुख कारक हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से बाहरी क्षेत्रों या अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थायी या अस्थायी रूप से स्थानांतरण की प्रक्रिया को प्रव्रजन कहा जाता है। इसमें गांव के लोग अक्सर शिक्षा, नौकरी या किसी सामाजिक कारणों के लिए शहर की ओर जाते है। प्रस्तुत शोध लेख का उद्देश्य यह जानना है कि मनरेगा योजना के आने से ग्रामीण प्रव्रजन में कमी आयी है, एवं ग्रामीण मजदूरों के बच्चो की शिक्षा में मनरेगा योजना की क्या भूमिका रही है। प्रस्तुत लेख अध्ययन क्षेत्र बिहार के अरवल जिला का चयन किया गया है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार अरवल जिला में मनरेगा योजना के तहत लक्षित कार्य का 100 प्रतिशत कार्य पूरा किया है। अरवल जिला से एक प्रखंड का चयन मनरेगा में मजदूरों के पंजीकरण की संख्या के आधार पर किया गया है, और चयनित प्रखंड से दो पंचायत का चयन दैव निदर्शन विधि के आधार पर किया गया है। प्रत्येक पंचायत से मनरेगा में पंजीकृत जनसंख्या के आधार पर दो–दो गांवों का चयन किया गया है। प्रत्येक गांव से 20 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। कुल उत्तरदाताओं की संख्या 80 होगा।

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.15430315

1. परिचय

गांव से शहर की ओर पलायन के कई कारण है, जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या विस्फोट, आर्थिक असमानता, आदि। आजादी के बाद से, भारत सरकार ने गांव से शहर की ओर पलायन को रोकने कि लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने, गांवों में टिकाऊ संपत्ति और बुनियादी ढांचा सुविधाओं का निर्माण करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए है। ऐसा ही एक प्रमुख मील का पत्थर कार्यक्रम है मनरेगा योजना, जिसे 2006 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर उस परिवार को न्यूनतम मजदूरी के साथ 100 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान करके आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना था, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में साइट चयन, कार्यो का चयन, पालना गृह (शिशु गृह) सुविधाएं, पेयजल, कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा, चोट के मामले में चिकित्सा उपचार और योजना मे कार्य के दौरान मृत्यु या विकलांगता के कारण अनुग्रह भुगतान के लिए वर्ष में कम से कम दो बार ग्राम सभा की बैठक बुलाना शामिल है। मस्टर रोल की जांच करने का अधिकार, आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ते का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण, ग्राम सतर्कता समिति, बैंक और डाकघर के माध्यम से मजदूरी का भुगतान, कम से कम एक तिहाई महिला लाभार्थी आदि अधिनियम के प्रमुख प्रावधान हैं। ये प्रावधान सहभागी विकास, सामान्य रूप से कमजोर वर्ग और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता हैं। उपरोक्त उपाय ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक स्थिरता और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हैं।

मनरेगा की विकास क्षमता गरीब मजदूरों को आजीविका का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराना, जिलों से पलायन में कमी लाना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाना है, जिससे विशेष रूप से सहभागी विकास और महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य लिंग संबंधों में परिवर्तन और लैंगिक असमानताओं में कमी से है। परिसंपत्ति स्वामित्व और आर्थिक भागीदारी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के दो घटक हैं, जो सत्ता संबंधों को अपने पक्ष में बदलने का आत्मविश्वास और क्षमता प्रदान करते हैं। उत्पादक परिसंपत्तियों और आय पर स्वामित्व और नियंत्रण का अभाव, लैंगिक समानता, विकास परिणामों और समावेशी आर्थिक विकास को प्रभावित करता है।

बिहार में मनरेगा योजना

बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना की शुरूआत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत शुरू किया गया था। इस योजना की शुरूआत बिहार के 23 जिलों जैसे भोजपुर, दरभंगा, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, आदि में शुरू की गई है। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2007 से 15 जिलों अर्थात, अरवल, बांका, बक्सर, बेगुसराय, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सारण, खेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान, पश्चिमी चंपारण में शुरू किया गया है।

2. साहित्य समीक्षा

सिंह,रमेश कुमार (2009) के अनुसार, इन्होंने अपने लेख में लिखा है कि नरेगा योजना के आने से बिहार के गावों की तस्वीर बदल गयी और ग्रामीण गरीब मजदूर को अपने ही घर में काम मिल रहा है, जिससे कारण वह अब अपने गांव से बाहर नहीं जाते है।

आहूजा एवं अन्य (2011) ने अपने अध्ययन में लिखा है कि महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण प्रवास को रोकने में सभी राज्यों में सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहा है।

शर्मा, आशा (2013) के अनुसार, इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा एक सफल योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब एवं हाशियें पर आये लोगों को रोजगार देकर उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारा है, तथा ग्रामीण क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास भी हुआ है।

सेतिया,सुभाष (2014) के अनुसार, ग्रामीण समाज में ग्रामीण लोगों के आर्थिक विकास के लिए बहुत से योजनाओं को चलाया गया था, परंतु कोई भी योजना उतना सफल नहीं हुआ जितना मनरेगा योजना। इस योजना अंतर्गत वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी मिल जाने से ग्रामीण परिवारों में आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा उठ गया है तथा इससे ग्रामीण समुदाय में आर्थिक व सामाजिक विषमता कम करने में भी मदद मिल रही है।

कोटवे,मधुकर (2014) ने अपने लेख मे लिखा है कि पलायन का एक अन्य स्वरूप भी दिखा गया है जिसमें अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग वर्ष में 100 दिन का रोजगार मनरेगा में प्राप्त करने के बाद भी शहरों की ओर अतिरिक्त आय के लिए जा रहे है।

वर्मा, शिल्प (2020) के अनुसार कोविड–19 के समय प्रवासी मजदूरों को कुछ समय के लिए रोजगार मिला था पर इससे ग्रामीण प्रवास नहीं रूका है।

वासुदेवन, गायत्री एवं अन्य (2020) के अनुसार इन्होंने अपने लेख पत्र में लिखा है कि वापसी पलायन का पैमाना और ग्रामीण भारत में अवसरों की कमी तथा मनरेगा में फंड आवंटन में वृद्धि के बावजूद भी गंभीर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसके तहत उन लोगों को न्यूनतम कार्य दिवस प्रदान करने में असफल है जिन्हें इसकी आवश्यकता सबसे अधिक है।

3. अध्यन का उद्देश्य

- ग्रामीण परिवारों पर रोजगार, आय, परिसंपत्ति निर्माण, आदि पर मनरेगा योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना है।
- मनरेगा लाभार्थी एवं गैर–लाभार्थी परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थित में अंतर का पता लगाना।

4. अध्ययन पद्धति

अध्ययन के लिए अरवल जिला का चयन किया गया है। क्योंकि बिहार में मनरेगा योजना तहत के वृक्षारोपन प्रदर्शन रैंकिंग जिलों में अरवल जिला ने अपने लक्ष्य का 100 प्रतिशत कार्य पूरा किया है। अरवल जिला के 5 प्रखण्डों में से एक का चयन योजना के प्रदर्शन आधार पर किया गया है। उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रखंड से दो पंचायतों का चयन किया गया है। प्रत्येक पंचायत से मनरेगा में पंजीकृत जनसंख्या के आधार पर दो–दो गांवों का चयन किया गया है। प्रत्येक गांव से 20–20 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। कुल उत्तरदाताओं की संख्या 80 है।

4.1 आंकड़ों और उपकरणों का स्रोत

आंकडे प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से एकत्रित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार की वार्षिक रिपोर्ट, विभिन्न स्रोतों की सर्वेक्षण रिपोर्ट, पुस्तकें, साहित्य और विषय पर लेख द्वितीयक आंकड़ों के प्रमुख स्रोत है।

प्राथमिक आंकड़ें गैर–प्रतिभागी अवलोकन और अर्ध–संरचित साक्षात्कार अनुसूचियों के साथ–साथ व्यक्तिगत और समूह चर्चा के माध्यम से एकत्र किया गया है।

5. बिहार की जननांकिय विवरण

2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या 104,099,452 है। यह राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहां पर कुल जनसंख्या का 89 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है। यह राज्य भारत के सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 1,106 प्रति व्यक्ति है। इस राज्य का शिक्षा दर 62.82 प्रतिशत, महिला साक्षरता दर 53.33 प्रतिशत, लिंगानुपात 918 और शिशु लिंगानुपात 935 है(जनगणना, 2011)।

6. अरवल जिला का जननांकिय विवरण

2011 की जनगणना के अनुसार, अरवल जिला का कुल जनसंख्या 7,00,883 है, जिसमें पुरूष और महिला जनसंख्या क्रमशः 51.87 प्रतिशत और 48.13 प्रतिशत है। इस जिले का जनसंख्या घनत्व 1,099 प्रति वर्ग कि0मी0 है। जिले का लिंगानुपात 928 और साक्षरता दर 67.43 प्रतिशत है। अरवल जिला में 1 अनुमंडल, 5 प्रखंड और 316 गांव है(जनगणना, 2011)।

6.1 प्रखंड का चयन

प्रस्तुत शोध लेख का अध्ययन क्षेत्र कुर्था प्रखण्ड को चुना गया है, क्योंकि मनरेगा योजना के अंतर्गत महिलाओं का पंजीकरण 47.56 (41,507) प्रतिशत है, जो अरवल जिला के अंतर्गत प्रखण्डों में सबसे अधिक है(ण्उहदतमहंण्दपबण्दएथ्ल्2024.2025)।

6.1.1 पंचायत का चयन

कुर्था प्रखण्ड के अंतर्गत 11 पंचायत है, जिसमें से दो पंचायतों निधवाँ पंचायत (50.31प्रतिशत) और सचई पंचायत (49.87 प्रतिशत) का चयन मनेरगा योजना में पंजीकृत महिला उत्तरदाताओं की जनसंख्या के आधार पर किया गया है(ण्उहदतमहंण्दपबण्द)।

- प्रस्तुत तालिका में चयनित पंचायतों के अंतर्गत गावों में उत्तरदाताओं चयन का विवरण दर्शाया गया है।

- तालिका 6.1.1 चयनित पंचायतों के अंतर्गत गांवों में उत्तरदाताओं का विवरण

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	गांव का नाम	उत्तरदाताओं की संख्या
अरवल	कुर्था	निगवाँ	लोदीपुर	40
		सचई	फुलसथर	40
			कुल	80

6.1.2 निगवाँ पंचायत का संक्षिप्त विवरण

प्रस्तुत तालिका में निगवाँ पंचायत का संक्षिप्त विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 6.1.2 निगवाँ पंचायत का सक्षिप्त विवरण

.	कुल	पुरूष	महिला
कुल परिवार की संख्या	1,233	.	.
कुल जनसंख्या	7,279	3,715	3,584
अनुसूचित जाति	1,534	802	732
अनुसूचित जनजाति	1	1	.
साक्षर जनसंख्या	3,672	2,217	1,455
कुल कर्मियों की संख्या	2,365	1,665	700
मुख्य कर्मियों की संख्या	1,445	1,049	396
सीमांत कर्मियों की संख्या	920	616	304

स्रोतः ण्कपेजतपबजींदकइववांतूसण्बवण्पद

6.1.3 गांव का चयन

प्रस्तुत अध्ययन के लिए अध्ययन क्षेत्र का चयन दैव निदर्शन विधि के माध्यम से निगवाँ पंचायत से लोदीपुर गांव को लिया गया है।

तालिका 6.1.3 लोदीपुर गांव का संक्षिप्त विवरण

.	कुल	पुरूष	महिला
कुल परिवार की संख्या	409	–	–
कुल जनसंख्या	2,484	1,281	1,203
अनुसूचित जाति	464	235	229
अनुसूचित जनजाति	–	–	–
साक्षर जनसंख्या	1,081	728	353
कुल कर्मियों की संख्या	787	651	136
मुख्य कर्मियों की संख्या	319	306	13
सीमांत कर्मियों की संख्या	468	345	123

स्रोत: ूण्कपेजतपबजींदकइववांतूसण्बवण्पद

6.1.4 सचई पंचायत का संक्षिप्त विवरण

इस तालिका में सचई पंचायत का संक्षिप्त विवरण को दर्शाया गया है।

6.1.4 सचई पंचायत का संक्षिप्त विवरण

.	कुल	पुरूष	महिला
कुल परिवार की संख्या	610	–	–
कुल जनसंख्या	3,587	1,870	1,717
अनुसूचित जाति	1,277	650	627
अनुसूचित जनजाति	–	–	–
साक्षर जनसंख्या	1,890	1,154	736
कुल कर्मियों की संख्या	1,045	792	253
मुख्य कर्मियों की संख्या	181	155	26
सीमांत कर्मियों की संख्या	864	637	227

स्रोत: ूण्कपेजतपबजींदकइववांतूसण्बवण्पद

6.1.5 गांव का चयन

प्रस्तुत अध्ययन के लिए अध्ययन क्षेत्र का चयन दैव निदर्शन विधि के माध्यम से सचई पंचायत से फुलसथर गांव को लिया गया है।

तालिका 6.1.5 फुलसथर गांव का संक्षिप्त विवरण

.	कुल	पुरूष	महिला
कुल परिवार की संख्या	324	–	–
कुल जनसंख्या	1,757	940	817
अनुसूचित जाति	423	226	197

अनुसूचित जनजाति	–	–	–
साक्षर जनसंख्या	1,074	665	409
कुल कर्मियों की संख्या	527	422	105
मुख्य कर्मियों की संख्या	209	198	11
सीमांत कर्मियों की संख्या	318	224	94

स्रोतः ूण्कपेजतपबजींदकइववांतूसण्बवण्पद

6.1.6 उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक विवरण

यह खंड सर्वेक्षित पंचायतों में मनरेगा महिला लाभार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्थिति के विश्लेषण से संबंधित है। इसमें लाभार्थियों की आयु, पारिवार की आय, परिवार का प्रकार, शिक्षा, भूमि जोत का आकार एवं रोजगार के दिनों की संख्या को दर्शाया गया है, जो उनकी आजीविका के तौर–तरीके की स्थिति पर केन्द्रित है।

7. आयु

7.1 आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

प्रस्तुत तालिका में आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण को दर्शाया गया है।

तालिका 7.1 आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

वर्ग–समूह	लाभार्थी		गैर–लाभार्थी		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
18–35	32	64.0	16	53.3	48	60.0
36–50	16	32.0	14	46.7	30	37.5
50 से अधिक	2	4.0	0	0.0	2	2.5
कुल	50	100.0	30	100.0	80	100.00

श्रोतः सर्वेक्षण आधारित आंकड़ा

तालिका 7.1 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं की संख्या 18–35 वर्ष आयु वर्ग के बीच है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 64 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्या 53.3 प्रतिशत है, 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं की संख्या 37.5 आयु वर्ग के बीच है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 32 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्या 46.7 प्रतिशत है, तथा 2.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं की संख्या 50 वर्ष या उससे से अधिक आयु वर्ग के बीच है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 4 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्या नगण्य है।

8. जाति

8.1 जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

9 तालिका 7.1 जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

जाति–समूह	लाभार्थी		गैर–लाभार्थी		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	–	0.0	2	6.7	2	2.5
पिछड़ा वर्ग	6	12.0	4	13.3	10	12.5
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	18	36.0	8	26.7	26	32.5
अनुसूचित जाति	26	52.0	16	53.3	42	52.5
कुल	50	100.0	30	100.0	80	100.0

श्रोतः सर्वेक्षण आधारित आंकड़ा

तालिका 1.12.2 से पता चलता है कि 52.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं की संख्या अनुसूचित जाति से है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 52 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्या 53.3 प्रतिशत है, कुल 32.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं की संख्या अत्यंत पिछड़ी जाति से है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 36 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्या 26.7 प्रतिशत है। इसके अलावा, 12.5 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ी वर्ग से है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 12 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्या 13.3 प्रतिशत है, तथा कुल सामान्य वर्ग के जातियों की संख्या 2.5 प्रतिशत है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या नगण्य और गैर–लाभार्थियों की संख्या 6.7 प्रतिशत है।

जीविकोपार्जन में सुधार	लोदीपुर	फुलसथर	कुल
हाँ	15.0	0.0	7.5
नहीं	40.0	62.5	51.2
कोई परिवर्तन नहीं	45.0	37.5	41.3
कुल	100.0	100.0	100.0

9. पेशा

9.1 पेशा के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

प्रस्तुत तालिका में पेशा के आधार पर उत्तरदाताओं के विवरण को दर्शाया गया है।

तालिका 9.1 पेशा के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

वर्ग	लाभार्थी		गैर–लाभार्थी		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
मजदूर	36	72.0	12	40.0	48	60.0
कृषक मजदूर	14	28.0	8	26.7	22	27.5
कृषक व्यवसाय	–	–	8	26.7	8	10.0
अन्य	–	–	2	6.6	2	2.5
कुल	50	100.0	30	100.0	80	100.00

श्रोतः सर्वेक्षण आधारित आंकड़ा

तालिका 1.12.3 से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पेशा मजदूरी है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 72 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्खा 40 प्रतिशत है, जबकि 27.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पेशा कृषक मजदूरी है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 28 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्या 26.7 प्रतिशत है। इसके अलावा, कुल 10 प्रतिशत उत्तरदाता कृषक

व्यवसाय से जुड़े हुए है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या नगण्य और गैर–लाभार्थियों की संख्या 26.7 प्रतिशत है। कुल 2.5 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या नगण्य और गैर–लाभार्थियों की संख्या 6.6 प्रतिशत है।

10 वार्षिक–आय

10.1 वार्षिक–आय के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

इस अनुभाग में वार्षिक–आय के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 10.1 वार्षिक–आय के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

वर्ग	लाभार्थी		गैर–लाभार्थी		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
50,000 रू तक.	33	66.0	17	56.7	50	62.5
50,000 रू. से 1,00,000 रू.	17	34.0	11	36.7	28	35.0
1,00,000 रू. से 2,00,000 रू.	–	–	2	6.6	2	2.5
2,00,000 रू. से अधिक	–	–	–	–	–	–
कुल	50	100.0	30	100.0	80	100.0

श्रोतः सर्वेक्षण आधारित आंकड़ा

तालिका 10.1 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 62.5 उत्तरदाताओं का वार्षिक–आय 50,000 रूपया है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 66 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्या 56.7 प्रतिशत है, जबकि 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं का वार्षिक–आय 50,000 से 1,00,000 रूपया के बीच है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 34 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्या 36.7 प्रतिशत है। इसके अलावा, कुल 2.5 प्रतिशत उत्तरदाता की वार्षिक आय 2,00,000 रूपया से अधिक है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या नगण्य और गैर–लाभार्थियों की संख्या 6.6 प्रतिशत है।

10 परिवार का प्रकार

10.1 परिवारिक प्रकार के आधार पर महिला लाभार्थियों का विवरण

प्रस्तुत अनुभाग में परिवारिक प्रकार के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 10.1 परिवारिक प्रकार के आधार पर उत्तरदाताओ का विवरण

वर्ग	लाभार्थी		गैर–लाभार्थी		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
एकल परिवार	37	74.0	16	53.3	53	62.2
संयुक्त परिवार	13	26.0	14	46.7	27	33.8
कुल	50	100.0	30	100.0	80	100.00

श्रोतः सर्वेक्षण आधारित आंकड़ा

तालिका 10.1 से स्पष्ट पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 62 प्रतिशत उत्तरदाता एकल परिवार में रहते है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 74 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्या 53 प्रतिशत है, जबकि कुल 33.8 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार में रहते है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 26 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्या 46.7 प्रतिशत है।

11 शिक्षा

इस अनुभाग में शिक्षा के आधार उत्तरदाताओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

11.1 शिक्षा के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

तालिका 11.1 शिक्षा के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

शिक्षा का स्तर	लाभार्थी		गैर–लाभार्थी		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	32	64.0	12	40.0	44	55.0
पढ़ना–लिखना	11	22.0	8	26.7	19	23.7
प्राथमिक शिक्षा	7	14.0	7	23.3	14	17.5
माध्यमिक शिक्षा	–	–	3	10.0	3	3.8
उच्च शिक्षा	–	–	–	–	–	–
स्नात्तक	–	–	–	–	–	–
अन्य	–	–	–	–	–	–
कुल	50	100.0	30	100.0	80	100.0

श्रोतः सर्वेक्षण आधारित आंकड़ा

तालिका 11.1 से स्पष्ट है कि कुल 55 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 64 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्या 40 प्रतिशत है, जबकि 23.7 प्रतिशत उत्तरदाता सिर्फ पढ़ना–लिखना जानते है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 22 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्या 26.7 प्रतिशत है। इसके अलावा, 17.5 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये हुए है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 14 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्या 23 प्रतिशत है। तथा 3.8 प्रतिशत उत्तरदाता माध्यमिक शिक्षा प्राप्त किये हुए है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या नगण्य और गैर–लाभार्थियों की संख्या 10 प्रतिशत है।

12 ग्रामीण प्रवास एवं शिक्षा पर मनरेगा योजना का प्रभाव

प्रस्तुत अनुभाग में प्रवास एवं शिक्षा पर मनरेगा योजना के प्रभाव का मूल्यांकन निम्न चरों के आधार किया गया है।

12.1 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के कारण पलायन में कमी होने का विवरण

इस अनुभाग में निम्न पंचायतों के अंतर्गत गांवों में होने वाले पलायन पर मनरेगा योजना के प्रभाव का विवरण दर्शाया गया है।

12.1 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के कारण पलायन कम होने का विवरण

कृषि उत्पादकता में वृद्धि	लोदीपुर	फुलसथर	कुल
हाँ	7.5	12.5	10.0
नहीं	65.0	70.0	67.5
कोई बदलाव नहीं	27.5	17.5	22.5
कुल	100.0	100.0	100.0

श्रोतः सर्वेक्षण आधारित आंकड़ा

तालिका 12.1 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 67.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि उनके गांव में मनरेगा योजना आने के बाद भी पलायन में कोई कमी नहीं हुआ है, जबकि 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि मनरेगा योजना के कारण उनके गांव में पलायन की प्रवृति कुछ कमी हुआ है, तथा 22.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि मनरेगा योजना के आने से उनके गांव में पलायन की प्रवृति में कोई बदलाव नहीं आया है।

उपर्युक्त तालिका के अनुसार, अधिकांश उत्तरदाताओं ने बताया है कि मनरेगा योजना के आने से उनके गांव में पलायन की समस्या में कोई कमी नहीं दिखता

12.2 मनरेगा योजना से जुड़ने के बाद आजीविका में सुधार का विवरण

इस अनुभाग में मनरेगा योजना से जुड़ने के बाद उत्तरदाताओं की आजीविका में सुधार से संबंधित बातों की व्याख्या किया गया है।

12.2 मनरेगा योजना के कारण आजीविका में सुधार का विवरण

श्रोतः सर्वेक्षण आधारित आंकड़ा

तालिका 12.2 के अनुसार, 51 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार मिलने के वाबजूद भी उनके आजीविका में सुधार नहीं हुआ है, जबकि 7.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार मिलने से उनके आजीविका में परिर्वन हुआ है, तथा 41 उत्तरदाताओं ने कहा है कि उनको अपने आजीविका में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है।

उपर्युक्त तालिका के अनुसार, अधिकांश उत्तरदाताओं ने बताया है कि मनरेगा योजना में जुड़ने से उनके आजीविका में कोई सुधार नहीं हुआ है। जिससे वह ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिये है।

12.3 घर से मनरेगा कार्यस्थल की दूरी का विवरण

इस अनुभाग में उत्तरदाताओं के घर से मनरेगा कार्यस्थल की दूरी का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 12.3 घर से मनरेगा कार्यस्थल की दूरी का विवरण

कार्यस्थल की दूरी	लोदीपुर	फुलसथर	कुल
1 कि.मी. के अंदर	10.0	12.5	11.25
1–2	20.0	27.5	23.75
2–3	42.5	37.5	40.0
3–4	15.0	10.0	12.5
4–5	12.5	12.5	12.5
कुल	100.0	100.0	100.0

श्रोतः सर्वेक्षण आधारित आंकड़ा

तालिका 12.3 से स्पष्ट होता है, कि 40 उत्तरदाताओं ने बताया है कि मनरेगा योजना के तहत घर से 2 से 3 कि.मी. के काम दिया जाता है, 23.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि मनरेगा योजना के तहत घर से 1 से 2 कि.मी. के अंदर काम दिया जाता है, 12.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि मनरेगा योजना के तहत घर से 3 से 4 कि.मी. के अंदर काम दिया जाता है, 12.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि मनरेगा योजना के तहत उनके घर से 4 से 5 कि.मी. के अंदर ही काम दिया जाता है, जबकि 11.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि उनके घर से 1 कि.मी के अंदर ही मनरेगा योजना के तहत काम दिया जाता है।

उपर्युक्त तालिका अनुसार, अधिकांश उत्तरदाताओं ने बताया है कि उनके घर से 2 से 3 कि.मी. के अंदर ही मनरेगा योजना के तहत काम मिल जाता है, जिससे इस योजना में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक देखा गया है।

13 शिक्षा पर मनरेगा योजना का प्रभाव

इस अनुभाग में उत्तरदाता परिवारों के शिक्षा पर मनरेगा योजना का प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

तालिका 13.1 उत्तरदाता परिवारों के शिक्षा पर मनरेगा योजना का प्रभाव

सिर्फ हाँ के लिए	लाभार्थी		गैर–लाभार्थी		कुल	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में जाते है।	28	56.0	16	53.3	44	55.0
आपके घर की लड़कियां विद्यालय जाती है।	32	64.0	19	38.0	51	63.0
आप सरकारी शिक्षा योजनाओं का लाभ उठाती है।	26	52	13	26.0	39	48.7

श्रोतः सर्वेक्षण आधारित आंकड़ा

तालिका 13.1 से स्पष्ट पता चलता है कि 55 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 56 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्या 53.3 प्रतिशत है। इससे यह पता चलता है कि लाभार्थी परिवारों के 44 प्रतिशत बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ने जाते है, तथा 46.7 गैर–लाभार्थियों के बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ने जाते है। इसके अलावा, 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि उनके घर की लड़कियां विद्यालय जाती है, जिसमें लाभार्थी परिवारों की संख्या 64 प्रतिशत और गैर–लाभार्थी परिवारों की संख्या 38 प्रतिशत है। साथ ही, 48.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि वह सरकारी शिक्षा योजनाओं का लाभ हमेश लेते रहते है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 52 प्रतिशत और गैर–लाभार्थियों की संख्या 26 प्रतिशत है।

14. निष्कर्षः

निष्कर्ष से यह प्राप्त हो रहा है कि मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन की रफ्तार कम हुई है, लेकिन मनरेगा योजना की कमियों के कारण अभी प्रव्रजन शहर की तरफ होता है। मनरेगा योजना में कार्य दिवसों की कमी है, इसलिए पुरूष लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे है। परिणामस्वरूप, मनरेगा योजना में जो भी कार्य हो रहे है, उसमें महिलाओं की भागीदारी है।

अध्ययन के दौरान यह भी देखा गया है कि कम काम उपलब्ध होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर महिला उत्तरदाता मनरेगा योजना में शामिल है। इसके अलावा, काम के दिनों की कम संख्या और परिणामस्वरूप इससे कम कमाई के कारण लोगों की आजीविका पर मनरेगा योजना का प्रभाव बहुत उत्साहजनक नहीं है।

इसके अलावा, ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने में मनरेगा योजना का सकारात्मक प्रभाव रहा है। मनरेगा योजना में काम करने वाली अधिकांश महिलाओं ने कहा है कि इस योजना में काम करने से उनकी आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ उन्हें घर में भी पुरूषों के समान समझा जाता है। वह अपने परिवार में आर्थिक भागीदार के रूप में अपनी भूमिका निभाती है।

मनरेगा योजना में काम करने वाली महिलाओं ने कहा है कि इस योजना के आने से वह अब अपने घर के चार दिवारी से बारह निकलकर काम करने जाती है, उन्हें इस योजना के तहत कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, उन्हें पुरूषों के समान मजदूरी उन्हें भी दिया जाता है।

मनरेगा योजना के तहत मिलने वाली मजदूरी से वह अपने बच्चों को विद्यालय में नामांकन करा रही है तथा वह अपने घर के लिए जरूरी समान भी खरीदती है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मनरेगा योजना ने महिलाओं को आंशिक रूप से सशक्त बनाया है, तथा वह अब कही भी आसानी से जा सकती है। साथ ही साथ वह अब अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो रही है।

15. संदर्भ–सूची

- सिंह, रमेष कुमार (2009) 'नरेगा से बिहार में गांवों की बदलती तस्वीर' कुरूक्षेत्र, पृष्ठ संख्या– 33–36, दिसम्बर 2009.
- आहूजा, उषा रानी, दुष्यंत त्यागी, सोनिया चौहान एवं खयालीराम चौधरी, 2011 'ग्रामीण रोजगार और प्रवास पर एमजीनरेगा का प्रभाव : खेती के लिहाज से हरियाणा के पिछड़े और विकसित जिले' , एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक रिसर्च रिव्यू 24 : 495 –502 .
- Sharma, Asha. (2013). Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act : A Tool for inclusive growth in Rural India, *International Journal of Research and Development*, 2(2).
- सेतिया, सुभाष (2014) 'गांवों मे कायापलट का क्रांतिकारी कदम–मनरेगा' कुरूक्षेत्र, पृष्ठ संख्या.33–36, फरवरी 2014 .
- कोटवे,मधुकर (2014) 'गांवों से पलायन का बदलता स्वरूप' कुरूक्षेत्र, पृष्ठ संख्या. 3–6 फरवरी 2014 .
- Vasudevan, Gaytri(2020).MGNREGA in the times of Covid-19 and Beyond : Can India Do More With Less?,*The Indian Journal of Labour Economics*, 63,799-814.

- Manual District Handbook-2011
- नरेगा समीक्षा–2012